अनुलग्नक

अनुलग्नक 2.1
(पैरा 2.3 का संदर्भ लें)

संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का चयन

राज्य/श्रेणी	शामिल सर्किल	एएसआई के तहत विश्व विरासत स्थल	*आदर्श एवं टिकट वाले स्मारक*	शहरीकरण/जलमग्न के कारण पता लगाए गए या प्रभावित सूचित किए गए स्मारक	स्मारक जिन पर अतिक्रमण सूचित किए गए	अन्य स्थल/स्मारक (गैर टिकट वाले सहित)	कुल	शामिल किए गए स्थल संग्रहालय
चयन *		100%	100%	25%	30%	12%		
दिल्ली	1	3	6	3	6	10	**28**	**5**
हरियाणा	1	0	3	0	2	5	**10**	**1**
कर्नाटक	3	2	8	1	6	28	**45**	**6**
मध्य प्रदेश	2	3	6	0	1	13	**23**	**5**
महाराष्ट्र	2	3	4	2	7	10	**26**	**0**
ओडिशा	1	1	4	0	11	4	**20**	**3**
पश्चिम बंगाल	2[1]	0	5	6	2	19	**32**	**3**
कुल चयन	**12**	**12**	**36**	**12**	**35**	**89**	**184**	**23**

**प्रत्येक चयनित राज्यों में विशिष्ट श्रेणी में उपलब्ध स्मारकों के संबंध में चयन प्रतिशत (न्यूनतम) था।*

1. अन्य स्थल/स्मारकों में वे स्मारक शामिल हैं जो अन्य श्रेणियों में शामिल नहीं थे अपितु पूर्व प्रतिवेदन में उस पर टिप्पणी की गयी थी।
2. प्रारम्भिक निष्कर्ष/प्रतिवेदन के आधार पर अतिरिक्त स्मारकों/स्थलों निरीक्षित किए गए एवं इस प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई।
3 मध्य प्रदेश में तीन विश्व विरासत स्थलों के तहत, 26 स्मारकों को शामिल किया गया।

[1] 1 अगस्त 2020 में मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में 'रायगंज' को शामिल करते हुए सात नए सर्किलों के सृजन की घोषणा की। यद्यपि कुछ स्मारक जो पहले कोलकाता सर्किल के क्षेत्राधिकार में थे और रायगंज सर्किल में स्थानांतरित किया गए फिर भी प्रतिवेदन में अभी भी उनका एएसआई कोलकाता सर्किल के अधीन संबोधन किया गया है।

अनुलग्नक 5.1

(*पैरा 5.2.1 का संदर्भ लें*)

एएसआई में वित्तीय अनियमितताएं

राज्य	सर्किल/प्रभाग	टिप्पणियां
दिल्ली	**दिल्ली सर्किल**	✓ कुछ उप-मंडलों के लिए, स्मारकों पर हाउसकीपिंग उपलब्ध करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय विशिष्ट खंड अर्थात <u>*विरासत स्थलों पर*</u> *जनशक्ति उपलब्ध करवाने में, आवश्यक अनुभव* को डाला गया था। परिणामस्वरुप, सात मामलों मे, केवल दो एजेंसिया ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया, जिनमें से एक ने वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त की। एएसआई स्मारकों पर हाउसकीपिंग कार्य के लिए ठेका देने की प्रक्रिया में प्रतियोगिता का अभाव था। ✓ सर्किल स्मारकों के लिए हाउसकीपिंग अनुबंध दे रहा था। (i) जहां दैनिक रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए अन्य एजेंसी के साथ समझौता किया गया था (*अग्रसेन की बाओली*) (ii) जिन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, वे एएसआई के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं थे और इसने उसकी अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया शुरु की थी।(*सराय शाहजी, राजपुर* कब्रिस्तान, *डी' एरमाओ* कब्रिस्तान) (iii) जो अन्य एजेंसी द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के अंदर थे और ए.एस.आई द्वारा उनका दैनिक रखरखाव संभव नहीं था (*सुंदरवाला महल, बड़ा बताशा, लक्कडवाला* मकबरा, *सुंदर बुर्ज*-सभी *सुंदर* नर्सरी के अंदर)। लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया कि अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2020 तक की अवधि के दौरान इन स्मारकों पर दैनिक हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने में ए.एस.आई द्वारा 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। ✓ *कोटला फिरोज शाह* में हाउसकीपिंग के काम के लिए दिए गये (सितंबर 2018) कार्य के दायरे में जंगल की सफाई, दीवारो, रास्तों से अतिरिक्त वनस्पतियों, घासों, पेड़ों, झाड़ियों को हटाना, व उन्हें ढेर लगाना आदि शामिल था। यह नोट किया गया कि दिए गए कार्य के दायरे में शामिल होने के बावजूद, मंडल ने उसी कार्य को दूसरी एजेंसी को सौंप दिया, जिससे राजस्व में ₹0.57 लाख का नुकसान हुआ।

राज्य	सर्किल/प्रभाग	टिप्पणियां
दिल्ली	बागबानी प्रभाग	✓ पुरातत्व उद्यानों के रखरखाव के लिए ठेके देने और उन्हें अंतिम रूप देने में अनियमिततायें अर्थात प्रभाग में बोलियों की उनके जमा करने की अंतिम तिथि के बाद उनकी गणना, प्राप्ति और अंतिम रुप देने में त्रुटि, अधिक क्षेत्र के लिए अनुबंध प्रदान करना, क्षेत्र और आवश्यक जनशक्ति का गलत अनुमान आदि देखा गया। साथ ही, उनके वार्षिक अनुमोदन के विरुद्‌ध, चयनित बोलीदाताओं के कार्टेल को मासिक आधार पर कार्य दिए जा रहे थे।
हरियाणा	चंडीगढ़ सर्किल	✓ सर्किल ने 2016-2020 के दौरान उनकी संस्वीकृत संख्या 71 से अधिक 65 ब.का.क की नियुक्ति पर ₹1.65 करोड़ का व्यय किया। ✓ टिकट बिक्री की प्राप्तियाँ 19 से 59 दिनों के बीच तक के विलम्ब के बाद सरकारी खाते में जमा करायी गयी।
मध्य प्रदेश	भोपाल सर्किल, जबलपुर सर्किल	✓ निर्माण कार्य पर लगाये गये ₹1.33 लाख राशि के श्रम उपकर की राशि की वसूली नहीं की गयी। इस संबंध मे भोपाल सर्किल ने कहा कि उसे प्रावधान की जानकारी नहीं थी। ✓ भोपाल सर्किल में, जून 2019 में प्राप्त ₹11.29 लाख राशि की निर्माण सामग्री, श्रम से संबंधित निविदा (जून 2021) को अंतिम रूप नहीं देने के कारण खराब (कार्य के लिए उपयोगी नहीं) हो गई थी। ✓ पिछले प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद,2005-09 के दौरान खरीदे गए ₹3.66 लाख के रसायन का उपयोग नहीं किया गया, जिसमें से ₹2.14 लाख के रसायन उसके प्रयोग के पहले ही समय सीमा समाप्ति हो गई थी।
महाराष्ट्र	औरंगाबाद सर्किल, मुंबई सर्किल	✓ 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान, ₹57.49 लाख (संरक्षण और रखरखाव कार्य के 1 *प्रतिशत* की दर पर) की राशि का श्रम उपकर को वसूल नहीं किया गया। इस संबंध में मुंबई सर्किल ने कहा की जनशक्ति की कमी और नियमों की अनभिज्ञता के कारण उपकर नहीं वसूला गया। ✓ टिकट बिक्री की प्राप्तियां 3 से 122 दिनों के बीच की देरी के बाद सरकारी खातें में जमा की गई।
ओडिशा	भुवनेश्वर सर्किल	✓ 2013-14 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान, ₹52.70 लाख (संरक्षण और रखरखाव कार्य के 1 प्रतिशत की दर पर) की राशि का श्रम उपकर नहीं लगाया गया। इस संबंध में भुवनेश्वर सर्किल ने कहा कि संबंधित अधिकारी को आगामी अनुमानों से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

राज्य	सर्किल/प्रभाग	टिप्पणियां
		✓ सर्किल में, कार्य पूर्ण होने के बावजूद, ₹1.14 करोड़ की राशि और विभिन्न पार्टियों को भुगतान किये गए अग्रिम को तीन से सात वर्षों की अवधि के लिए समयोजित नहीं किया गया था। सर्किल कार्यालय ने सूचित किया की मामले की समीक्षा की गई है और बकाया अग्रिम का समायोजन किया जाएगा। ✓ टिकट बिक्री की प्रप्तियां 250 दिनों तक की देरी के बाद सरकारी खाते में जमा की गई।
पश्चिम बंगाल	**कोलकाता सर्किल**	✓ टिकट बिक्री की प्रप्तियां 10 से 55 दिनों की देरी के बाद सरकारी खाते में जमा की गई।

अनुलग्नक-5.2

(पैरा 5.3 का संदर्भ लें)

प्रवेश शुल्क में संशोधन (₹ में)

	भारतीय नागरिकों, सार्क और बिम्सटेक देशों[2] के नागरिकों और भारत के विदेशी नागरिकों के लिए			अन्य विदेशी आगंतुकों के लिए		
	01.04.2016 से पहले	01.04.2016 के बाद	01.08.2018 से	01.04.2016 से पहले	01.04.2016 के बाद	01.08.2018 से
विश्व धरोहर स्थल	10	30	40	250	500	600
अन्य टिकट वाले स्मारक	5	15	25	100	200	300

<u>अगस्त 2018 से, निम्नलिखित प्रावधान जोडे गए</u>

1. लाल किले, दिल्ली में, भारतीय नागरिकों आदि पर शुल्क ₹50 प्रति व्यक्ति और नगद रहित भुगतान के लिए ₹35 प्रति व्यक्ति है।
2. ताज समूह के स्मारकों, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार पर भारतीय नागरिकों आदि पर नकद रहित शुल्क ₹35 प्रति व्यक्ति है।
3. ताज समूह के स्मारकों, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार पर विदेशी आगंतुकों पर नकद सहित शुल्क ₹550 प्रति व्यक्ति है। अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक विदेशी आगंतुको के लिए अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया है (प्रति व्यक्ति ₹850 और नकद रहित भुगतान के लिए ₹800 प्रति व्यक्ति).
4. अन्य ₹200 प्रति व्यक्ति (आगंतुकों की सभी श्रेणियों के लिए) ताजमहल के मुख्य मकबरे में प्रवेश के लिए शुल्क- दिसंबर 2018 से।
5. अकबर के मकबरे, मरियम के मकबरे, इतिमद-उल-दौल के मकबरे, रामबाग और मेहताब बाग (सभी आगरा में), *जंतर मंतर, खान-ए-खाना, पुराना किला,* तुगलकाबाद किला, कोटला फिरोजशाह, सफदरजंग मकबरा (सभी दिल्ली में) पर भारतीय नागरिकों आदि पर नकद रहित भुगतान के लिए शुल्क ₹20 प्रति व्यक्ति।
6. अकबर के मकबरे, मरियम के मकबरे, इतिमद-उल दौल के मकबरे, रामबाग ओर मेहताब बाग (सभी आगरा में), *जंतर-मंतर, खान-ए-खाना, पुराना किला,* तुगलकाबाद किला, कोटला फिरोजशाह, सफदरजंग मकबरा (सभी दिल्ली में) पर

[2] सार्क देशों में शामिल है- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बिम्स्टेक देशों में शामिल है- बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।

विदेशी आगंतुकों पर नकद रहित भुगतान के लिए शुल्क ₹250 प्रति व्यक्ति। अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक विदेशी आगंतुकों के लिए अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है- (₹400 प्रति व्यक्ति और नकद रहित भुगतान के लिए शुल्क ₹350 प्रति व्यक्ति)

1 अप्रैल 2016, के बाद, विश्व धरोहर स्थलों के लिए पेशेवर और अन्य एजेंसियों द्वारा फिल्म की शूटिंग हेतु प्रभार को ₹5000 प्रति दिन (सभी प्रकार के स्मारकों के लिए) से ₹1 लाख तक बढ़ाया गया और अन्य स्मारकों के लिए ₹50,000 प्रति दिन कर दिया गया।

अनुलग्नक 6.1

(पैरा 6.3.1 का संदर्भ लें)

अधिसूचना मानदंड के अभाव के कारण सीपीएम की सूची में विसंगतियां

राज्य	सर्किल	स्मारक विवरण	
ए.1 ऐसे उदाहरण जहां एक ही परिसर में स्थित एक से अधिक स्मारकों को अलग स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया।			
		परिसर	स्मारक
दिल्ली	दिल्ली	रोशानारा बाग परिसर	2
		कुदेसिया बाग परिसर	2
बिहार	पटना	बराबर और नागार्जुन पहाड़ियां	7
		कुरीसरीया	5
		प्राचीन संरचना, राजगीर, नालंदा	3
		मानेर,पटना	4
कर्नाटक	धारवाड़	मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर, बगलकोट	3
		कोटीगुड़ी, बगलकोट	2
ओडिशा	भुवनेश्वर	गंगाधरस्वामी मंदिर जगदीश्वरस्वामी मंदिर	2
उत्तराखंड	देहरादून	जागेश्वर मंदिर परिसर, अलमोड़ा	6
ए.2 ऐसे उदाहरण जहां एक परिसर के भीतर सभी संरचनाओं को एकल स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था।			
		स्मारक	
दिल्ली	दिल्ली	लाल किला	
		कुतुब परिसर	
कर्नाटक	हंपी	बीदर किला	
बी. ऐसे उदाहरण जहां स्मारक के हिस्से को संरक्षित घोषित नहीं किया गया			
		संरक्षित स्मारकों का नाम	**संरक्षित क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया क्षेत्र**
दिल्ली	दिल्ली	शहांजहानाबाद शहर की दीवार, दरियागंज	सड़क के उस पार की दीवार का कुछ हिस्सा असंरक्षित

			छोड़ दिया गया था।
कर्नाटक	धारवाड़	चंद्रागिरी पहाड़ियों में बसदी, श्रवणबेलगोला असंरंक्षित	14 बसदियों में से 11 को संरक्षित घोषित नहीं किया गया और उन्हें असुरक्षित छोड़ दिया गया।
टिप्पणियां:-पिछले प्रतिवेदन में, मंत्रालय ऐसे मामलों में अपनाए गए वर्गीकरण के लिए अपने उत्तर (उपरोक्त भाग बी) के समर्थन में कोई प्रलेखित कारण प्रदान करने में असमर्थ रहा।			
सी-ऐसे उदाहरण जहां कुछ कोस-मीनार राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किए गए थे। दिल्ली सर्किल में, एएसआई एक कोस-मीनार (दिल्ली चिड़ियाघर के अंदर) का संरक्षण कर रहा था, जबकि तीन का दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग (बदरपुर में स्थित) द्वारा संरक्षित किया गया था।			

नोटः जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में बताया गया है।

अनुलग्नक-6.2

(पैरा 6.2 व 6.3.4 का संदर्भ लें)

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में विसंगतियां।

राज्य	सर्किल	स्मारक	
ए. ऐसे मामले जहां एक ही स्मारक को दो बार अधिसूचित किया गया			
दिल्ली	दिल्ली	कुतुब परिसर के तहत अधिसूचित स्मारकों में लौह हिंदू स्तंभ भी शामिल था।	
		हौज शम्सी को शम्सी तलब के रूप में भी अधिसूचित किया गया।	
बी. स्मारक जहां अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी (जैसा कि पहले बताया गया था)			
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पुसलापाइ मे प्राचीन स्थल, जिला प्राकासम	
केरल	त्रिसूर	शिव मंदिर, थिरुवंचिकुलम	
मध्य प्रदेश	भोपाल	कमलापती महत और आस-पास के क्षेत्र, भोपाल	
		चित्रित शैलाश्रय, दो बौद्ध स्तूप और अन्य अवशेष, सिहोर	
	जबलपुर	*लड़ाकी का टीला,* कटनी	
		देवी मंदिर सहित कंकालीदेवी मंदिर का स्थान और उसके पास का खंडहर मंदिर, कटनी	
त्रिपुरा	आइज़ॉल	प्राचीन टील जिसे श्याम सुंदर कहा जाता है	
		पूजाखोला, त्रिपुरा	
उत्तर प्रदेश	सारनाथ	लंबा टीला, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश	
		बड़ा आयताकार टीला, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश	
		खंडहरों का छोटा शंकाकार टीला जिसे देवी-का-स्थान कहा जाता है, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश	
		प्राचीन बौद्ध स्थल् जिसे चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश	
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सेंट जोंस चर्च *सर्किल कार्यालय ने स्वीकार किया कि स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के संबंध में अंतिम अधिसूचना उसके पास उपलब्ध नहीं थी।*	
सी. केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संरक्षित स्मारक।			
आंध्र प्रदेश	अमरावती	खंडहर में किला, धरनीकोटा	एएसआई और राज्य विभाग दोनों द्वारा अधिसूचित। पहले की रिपोर्ट में, एएसआई ने
		समालकोट में भीमेश्वर मंदिर, पूर्वी गोदावरी जिला।	

राज्य	सर्किल	स्मारक	
			कहा था कि राज्य विभाग से इन स्मारकों को राज्य सूची से हटाने का अनुरोध किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश	सारनाथ	एक छोटे हाथी पर खड़े एक विशाल सिहं का पत्थर समूह	राज्य पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सूची में भी शामिल है।
डी. स्मारकों के रूप में संरक्षित पुरावशेषों के उदाहरण			
असम	गुवाहाटी	सिबसागर तालाब के तट पर अहोम काल के आठ तोपे, सिबसागर	
		बादशाह शेरशाह की बंदूक, सदिया	
		मुगल नवारा की दो कुंडा बंदूकें, सदिया	
छत्तीसगढ़	रायपुर	गणेश प्रतिमाएं, बरसुर, दंतेवाड़ा	
कर्नाटक	धारवाड़	प्राचीर पर और ट्रॉफी में सभी पुरानी बंदूके, विजयपुरा	
महाराष्ट्र	मुंबई	महादेव पत्थर, शोलापुर	
		नक्काशीदार पत्थर, पालघर	
ओडिशा	भुवनेश्वर	तीन विशाल मातृकाएं, जाजपुर	
		तीन बुद्ध मूर्तियां, जाजपुर	
राजस्थान	जयपुर	लूटी हुई बंदुकें, भरतपुर	
		संगमरमर झूला, भरतपुर	
तमिलनाडु	चेन्नई	तोप, वैल्लोर	
उत्तर प्रदेश	झांसी	पांच आदमकद हाथी की मूर्तियां, महोबा	
	सारनाथ	एक छोटे हाथी पर खड़े एक विशाल सिहं का पत्थर समूह। यह अकबर के पुल पर पड़ा है।	
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दलमदल बंदूक और वह मंच जिसमे इसे खड़ा करके रखा गया है।	
		जहां कोसा बंदूक, मुर्शिदाबाद	
	सर्किल का जवाब की एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के पारित होने से पहले दो स्मारकों को संरक्षित किया रहा था, मान्य नही था क्योंकि एएसआई/सर्किल ने उनकी अधिसूचना रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।		

अनुलग्नक-6.3

(पैरा *6.3.5* का संदर्भ लें)

स्मारकों को एएसआई द्वारा गैर-अधिसूचित नहीं किया गया

राज्य	सर्किल	ए.एस.आई द्वारा रिपोर्ट किए गए स्मारक		
		अभी तक लापता (24)	शहरीकरण के कारण प्रभावित (14)	जलाशय के नीचे जलमग्न (12)
आंध्र प्रदेश	अमरावती		प्राचीन बौद्ध अवशेष और स्मारकों पर ब्राह्मी शिलालेख	नागार्जुनकोंडा की पहाडियां प्राचीन अवशेषों, मूर्तियों, नक्काशी, प्राचीन टीले पर छवियों के साथ, नागुआवरम
अरुनाचल प्रदेश	गुवाहाटी	तांबे के मंदिर के खंडहर, पाया, लोहित		
असम	गुवाहाटी	बादशाह शेरशाह की बंदूकें, सदिया		
दिल्ली	दिल्ली	बारह खंबा कब्रिस्तान, दिल्ली इंचला वाली गुमटी, मुबारकपुर कोटला	जोगाबाई के नाम के जाना जाने वाला टीलापूल चादर अलीपुर कब्रिस्तान **कैप्टन मैक बार्नेट और अन्य का मकबरा**, शिलालेख वाली घेराबंदी बैटरी स्थल शिलालेख वाली घेरबंदी बैटरी मेजर एडवर्ड काये, कुदेशिया मस्जिद बाग पर शिलालेख वाली घेराबंदी बैटरी (2)	
गुजरात	राजकोट		प्राचीन स्थल, सेजकपुर ऐतिहासिक स्थल संख्या 431-435 बडोदरा।	
हरियाणा	चंडीगढ़	*कोस मीनार*, मुजेसर, फरीदाबाद, *कोस मीनार*, शाहबाद, कुरुक्षेत्र		
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर			सीतला, नारदा, ब्रह्मा और राधा कृष्ण की शिला नक्काशी, कठुआ शेर की सवारी करती हुई देवी की चट्टान नक्कासी,

राज्य	सर्किल	ए.एस.आई द्वारा रिपोर्ट किए गए स्मारक		
		अभी तक लापता (24)	शहरीकरण के कारण प्रभावित (14)	जलाशय के नीचे जलमग्न (12)
				,कठुआ विश्वेशर एवं अन्य गुफा मंदिर, कठुआ
कर्नाटक	बैगलूरु		प्रागैतिहासिक, स्थल, चिक्कजाला प्रागैतिहासिक स्थल, हेज्जाला	**प्रागैतिहासिक स्थल, कित्तूर**
मध्य प्रदेश	जबलपुर	शिलालेख, सतना		
महाराष्ट्र	मुंबई	पुराना यूरोपीय मकबरा, पूणे, एक बुरुज, अगरकोट		
राजस्थान	जयपुर	किले, नगर, टोंक, 12 वीं सदी के मंदिर बारानी में शिलालेख		
उत्तराखंड	देहरादून	कुटुंबारी मंदिर, द्वारहाट, अल्मोड़ा		
उत्तर प्रदेश	सारनाथ, लखनऊ, झांसी	1000 ई. के तीन छोटे लिंग मंदिर क्षेत्र के खंडहर, आहुगी,मिर्जापुर, पहाडियां के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सिरे पर महापाषाण के साथ तीन स्थल, चंदौली टेबल पर कोषागार भवन पर टैबलेट, वाराणसी तैलीप वाला बौद्ध खंडहर, वाराणसी एक बरगद का बाग जिसमें प्राचीन इमारत के चिन्ह है, अमावे बलिया, बंद कब्रिस्तान, कटरा नाका, बांदा गनर बुर्किमल का मकबरा, मेहरोनी, ललितापुर तीन मकबरे, लखनऊ-फैजाबाद रोड मील 6 और 7 पर कब्रिस्तान जहरायला रोड़ लखनऊ गौघाट में कब्रिस्तान, लखनऊ	कब्रिस्तान (बस स्टैड) जालोन	

राज्य	सर्किल	ए.एस.आई द्वारा रिपोर्ट किए गए स्मारक		
		अभी तक लापता **(24)**	शहरीकरण के कारण प्रभावित **(14)**	जलाशय के नीचे जलमग्न **(12)**
		सांडी-खेड़ा नामक विशाल खंडहर स्थल, पाली शाहबाद, हरदोई		
पश्चिम बंगाल	कोलकाता रायगंज	किले के खंडहर, बामन पुरकुर, नदिया		एक टीला और सूर्य की मूर्ति, पारशनाथ एक जैन मूर्ति के साथ एक टीला, पारशनाथ एक पेड़ के नीचे महिषासुर का वध करने वाली दुर्गा की छवि, सरेनगढ़, बांकुरा मंदिर स्थल अब केवल एक टीले द्वारा प्रतिनिधित्व किया, सरेनगढ़, बांकुरा नन्दी की छवि के साथ एक टीला, सरेनगद,बांकुरा गणेश व नंदी की मूर्तियां के साथ एक टीला, सुरेनगढ़, बांकुरा

नोटः मोटे अक्षरों मे-संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान विद्यमान नहीं पाया गया

अनुलग्नक 7.1

(पैरा 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 और 7.3 का संदर्भ लें)

स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम

	विवरण	राज्य	सर्किल	स्मारकों की संख्या		तस्वीरें एवं विवरण
				डब्ल्यू एचएस	*आदर्श और टिकट वाले*	
विश्व धरोहर स्थल, आदर्श और टिकट वाले स्मारक पर उपलब्ध है।	**सार्वजनिक सुविधाएं** (एक या ज्यादा) अर्थात पीने का पानी, शौचालय ब्लाक, दिव्यांगजनों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है।	दिल्ली	दिल्ली	--	4	तुगलाकाबाद किला, दिल्ली सर्किल में शौचालय ब्लाक पानी की आपूर्ति की समस्या के कारण काम नहीं कर रहा था। ए.एस.आई ने अक्तूबर 2021 में डी.डी.ए से जलापूर्ति के लिए मांग की थी।
		हरियाणा	चंडीगढ़	--	3	
		कर्नाटक	बैंग्लूरू, धारवाड़, हम्पी	--	4	
		मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर	2#	1	
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुबंई	--	2	
		ओडिशा	भुवनेश्वर	1	1	
		पश्चिम बंगाल	कोलकाता, रायगंज		4	
	पर्यटक सुविधाएं (एक या ज्यादा) अर्थात अमानती घर, वाई-फाई, पार्किग, रास्ते, गाईड, दुभाषिया, आडियो गाईड सेवाएं, प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं है	दिल्ली	दिल्ली	3	6	सुल्तान गढ़ी में क्षतिग्रस्त क्यूआर कोड़ स्कैनर, दिल्ली सर्किल जिसे सबसें खराब टिकट वाला स्मारक घोषित किया गया।
		हरियाणा	चंडीगढ़	--	3	
		कर्नाटक	बैंगलौर, धारवाड़ हम्पी	2*	6	
		मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर	3	4	
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई	3	3	
		उड़ीसा	भुवनेश्वर	1	1	
		पश्चिम बंगाल	कोलकाता, रायगंज		6	
सभी स्मारक	स्मारक परिचारक सांस्कृतिक और सुरक्षा संकेत, स्थल मानचित्र, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा उपकरण (एक या अधिक पर उपलब्ध	दिल्ली	दिल्ली	16	स्मारक बीबी साहब की मस्जिद, भोपाल सर्कल को 1970-72 से बंद कर दिया गया	
		हरियाणा	चंडीगढ़	2		
		कर्नाटक	बेंगलूरु, धारवाड़, हम्पी	5		
		मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर	22		
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई	4		

	नहीं) स्मारक या उसका हिस्सा जनता के लिए बंद है	ओडिशा	भुवनेश्वर	18	था। सर्किल कार्यालय ने सूचित किया कि इस संबंध में जांच के बाद उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
		पश्चिम बंगाल	कोलाकाता, रायगंज	17	

नोटः रायगंज सर्किल मे कुछ स्मारक(पहले कोलकाता सर्किल के तहत) सिक्किम में स्थित है।

*=नौ स्मारकों का समूह, हंपी और एक पट्टाडकल में स्थित

#=खजुराहो में स्मारकों का समूह

अनुलग्नक 7.2

(पैरा 7.2.2 का संदर्भ लें)

स्मारकों पर अनुचित संरक्षण और अनधिकृत अतिक्रमण/निर्माण

<table>
<tr><th>सर्किल</th><th colspan="2">तस्वीरें और विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="5">दिल्ली</td><td colspan="2">25 स्मारकों में से (तीन लुप्त को छोड़कर), बड़ी दरारें (ii) प्लास्टर गिरने (15), रिसाव (3) और रासायनिक उपचार की आवश्यकता (5) के मामले देखे गए।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>स्मारक पर पंप रूम का निर्माण किया गया-पुराना किला</td><td>स्मारक में कमरे बनाने के लिए ढका हुआ गलियारा-सफदरजंग मकबरा</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>स्मारक पर बनाई गई झूठी छत-लाल किले पर रंग महल</td><td>लाल किले में औपनिवेशकीय काल के भवन में लिफ्ट का प्रावधान किया जा रहा था।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">औरंगाबाद, मुंबई</td><td colspan="2">27 स्मारकों में से, बडी दरारें(6), प्लास्टर गिरने (6), रिसाव (9) और रासयानिक उपचार की आवश्यकता (13) के मामले देखे गए</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>डोमिनिकन चर्च और कान्वेंट अगरकोट की जर्जर स्थिति</td><td>सिद्धेश्वर महादेव में आधुनिक टाइल फर्श, टोका</td></tr>
</table>

सर्किल	तस्वीरें और विवरण	
	अजंता पर महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण	गृह्नेश्वर मंदिर में अतिक्रमण
चंडीगढ़	10 स्मारकों में से. बड़ी दरारें (8), प्लास्टर गिरने (6) रिसाव (5) और रासायनिक उपचार की आवश्यकता (8) के मामले देखे गए।	
	स्मारक पर अवैध निर्माण-अला वरदी खान मस्जिद, गुरुग्राम, हरियाणा	
भोपाल जबलपुर	46 स्माराकों में से, बड़ी दरारें (12), प्लास्टर गिरने (10), रिसाव (11) और रासायनिक उपचार की आवश्यकता (31) के मामले देखे गए।	
	स्मारकों की बाहरी दीवार पर काले धब्बे, सास-बहू मंदिर, ग्वालियर किला	स्मारक पर बड़ी दरारें, तेली का मंदिर ग्वालियर किला
	स्मारक पर बिजली उपकरण और तस्वीरे शांतिनाथ मंदिर, खजुराहो	स्मारक में खुले में पड़े पुरावशेष, भोजशाला, धार

<table>
<tr><th>सर्किल</th><th colspan="2">तस्वीरें और विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="6">कोलकाता, रायगंज</td><td colspan="2">26 स्मारकों (6 जलमग्न को छोड़कर), बड़ी दरारों (8), प्लास्टर गिरने (8) रिसाव (6) और रासायनिक उपचार (2) के मामले देखे गए।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">स्मारकों की जर्जर स्थिति-तमलुक राजबटी और क्लाइव हाउस</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>स्मारकों के संरक्षित क्षेत्र में किए गए नए निर्माण-दुबडी मठ</td><td>पैच वर्क, मुद्रा भवन में किए गए मूल कार्य के सममित नहीं है।</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">बेंगलुरु, धारवाड़ हम्पी</td><td colspan="2">45 स्मारकों मे से (एक लुप्त को छोडकर, बड़ी दरारें (16), प्लास्टर गिरने (13), रिसाव (16) और रासायनिक उपचार (30) के मामले देखे गए।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>चार साल के रासायनिक संरक्षण के बाद दरिया दौलत बाग, मैसूरु में विकृत छत।</td><td>परित्यक्त चेन पुली प्रणाली, पुराना शिव मंदिर, हंपी</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>आधुनिक ईंटों और सीमेंट की इस्तेमाल किया, चित्रदुर्गा</td><td>एएसआई कार्यालय के लिए बीदर किला, बीदर में किए गए परिवर्तन</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सर्किल</th><th colspan="2">तस्वीरें और विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">सरस्वती मंदिर और भूमिगत शिव मंदिर (हंपी सर्कल) के संबंध में, पिछली रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के संबंध में एएसआई द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, एएसआई ने 2015-2020 की अवधि के दौरान इन स्मारकों पर कोई संरक्षण व्यय नहीं किया।</td></tr>
<tr><td rowspan="6">भुवनेश्वर</td><td colspan="2">20 स्मारकों में से, रिसाव (17) और रासायनिक उपचार (20) के मामले देखे गए।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">सूर्य मंदिर कोणार्क में अतिक्रमण पर अवैध निर्माण</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में बना होटल, खांडगिरी गुफांए, भुवनेश्वर</td><td>बौद्ध स्थल पर जलवायु के संपर्क में पड़े रहे पुरावशेष रत्नागिरी</td></tr>
</table>

अनुलग्नक 7.3

(पैरा 7.2.3 का संदर्भ लें)

बगीचों का अनुचित प्रबंधन/स्मारकों पर वनस्पति की अधिक वृद्धि

सर्किल	तस्वीरें और विवरण	
दिल्ली		
	स्मारक पर नहीं उठाया जा रहा बगीचे का कचरा (1 साल से)	स्मारक पर अनियंत्रिक वनस्पति वृद्धि-नाई का कोट
औरंगाबाद, मुंबई		
	जंजीरा किला, मुरुड और डोमिनिकन चर्च अगरकोट में अत्यधिक वनस्पति	
कोलकाता, रायगंज		
	स्मारक पर अत्यधिक वनस्पति वृद्धि-बरकोना देउल और नीलकुंठी टीले	
बेंगलुरू, धारवाड, हंपी		
	दरिया दौलत बाग, मैसूर में घनी वनस्पति	किले के आस-पास घनी वनस्पति, गुलबर्ग

भुवनेश्वर		
	स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में बागवानी गोदाम-ब्रहमेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर	त्रिलोचनेश्वर मंदिर में बिना रखरखाव के बगीचा, जाजपुर

अनुलग्नक 8.1

(पैरा 8.1 का संदर्भ लें)

राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकृतियों को सौंपना/लेना, सत्यापन और गुम होना।

अनुभाग	रिपोर्ट की गई कलाकृतियों की संख्या		टिप्पणियां (अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई स्थिति)
	बरदराजन समिति	*येचुरी समिति*	
नृविज्ञान	10,552	9,480	सूचित किया कि 9452 वस्तुओं में से 8952 को को सौंप दिया गया/अधिग्रहण कर लिया गया और शेष 501 लापता/पता नहीं था।
पुरातत्व	9,414	9,650	9655 वस्तुओं की सूचना दी, जिनमें से 9416 का भौतिक सत्यापन किया गया और 241 उधार दिए स्थानांतरित किया गया।
हथियार और कवच	6,457	6,722	रिपोर्ट की गई 6457 वस्तुओं को अक्टूबर 2018 में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया।
मध्य एशियाई पुरावशेष	12,382	12,382	12382 वस्तुओं की रिपोर्ट की गई जिनमें से 125 प्रदर्शन पर थीं।
सजावटी कला	9,415	9,444	9,433 वस्तुओं की सूचना दी, जिनमें से 9358 भौतिक रूप से सत्यापित/अधिग्रहण किए गए (जून 2019) कुछ वस्तुओं जैसे- गोलकंडा रुमाल, बीदरी पंदन, गंजीफा कार्ड, धात्विक मोर, आइवरी का झंडा गायब बताया गया। 125 वस्तुए प्रदर्शन पर थी।
आभूषण	535	569	535 वस्तुओं की रिपोर्ट की गई।
पूर्व-इतिहास	5,437	5,437	क्यूरेटर ने केवल 1942 वस्तुओं (गैलरी मे 1296+35 और रिजर्व में 612) को अपने कब्जे में लेने की सूचना दी और शेष कलाकृतियों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
पांडुलिपियां	14,160	14,143	14,143 वस्तुओं की सूचना दी। हालांकि येचुरी समिति रिपोर्ट के सापेक्ष में 8718 (पार्शियन और अरबी) और 5452 (संस्कृत) पांडुलिपियों में से केवल 7814 (पार्शियन और अरबी) और 1458 (संस्कृत) को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है(दिसंबर 2020)

मुद्राशास्त्रीय और पुरालेख	1,19,791	1,19,791	केवल 12744 वस्तुओं को भौतिक रुप से सत्यापित/हंस्तारित/अधिग्रहीत करने की सूचना दी।
पेंटिंग्स	16,135	16,323	क्यूरेटर ने बताया कि केवल 2959 पेंटिंग्स को सत्यापित किया गया है और उनका अधिग्रहण कर लिया गया है। अगस्त 2019 में शुरू की गई कलाकृतियों को भौतिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया लंबित थी। (मार्च 2021)
पूर्व-कोलंबियन और पश्चिमी कला	2,435	2,909	केवल 1205 वस्तुओं (2011 में भौतिक रूप से सत्यापित) की रिपोर्ट की जिनमें से तीन गायब थी।
कुल	**2,06,713**	**2,06,985**	

अनुलग्नक 8.2

(पैरा 8.1 का संदर्भ लें)

विभिन्न संग्रहालायों मे कलाकृतियों का संरक्षण और प्रदर्शन स्थिति।

राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली

चित्र-1- कलाकृतियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए पार्क किए गए वाहन, चित्र-2- मूर्तियो के सामने फेंका हुआ कूड़ा, चित्र-3-मूर्तियों के साथ रखी निर्माण सामग्री, चित्र-4, 5- तहखाने और संग्रहालय के अन्य हिस्सों (पुरालेख गैलरी) में उपेक्षित पड़ी कलाकृतियां। चित्र 6,7- कला वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना कार्य किया जा रहा है।

<table>
<tr><td colspan="6">भारतीय संग्रहालय, कोलकाता</td></tr>
<tr><td colspan="3"> </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="3">प्लास्टिक में लिपटी और एक के उपर एक रखी कलाकृतियों</td><td colspan="3">प्लास्टिक में निपटी और एक के उपर एक रखी कलाकृतियां।</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="6">दीवार/खम्भों के साथ जोड़ने के लिए कलाकृतियों पर प्रयुक्त सीमेंट और अन्य सामग्री।</td></tr>
<tr><td colspan="6">एशियाटिक सोसायटी</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">पांडुलिपि का मरम्मत की आवश्यक</td><td colspan="2">नाजुक हालत में दुर्लभ किताब</td><td colspan="2">लिथोप्लेट्स का ढेर</td></tr>
</table>

अनुलग्नक 8.3

(पैरा 8.1.3 का संदर्भ लें)

सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र

<table>
<tr><td colspan="2">प्रत्येक वर्ष में सत्यापन प्राधिकारी के दिनांक और नाम के बिना विभिन्न संख्या में कला वस्तुओं के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र (उपलब्ध 46,216 के प्रति) और वही टंकण गलतियों के साथ</td></tr>
<tr><td>SALAR JUNG MUSEUM HYDERABAD
PHYSICAL VERIFICATION OF ART OBJECTS
This is to certify that, the museum is verifying the objects regularly the details of the objects verified physically are found correct for the below mentioned perid.
Year - Objects verified
2014-15 - 10018
Curator Curator</td><td>SALAR JUNG MUSEUM HYDERABAD
PHYSICAL VERIFICATION OF ART OBJECTS
This is to certify that, the museum is verifying the objects regularly the details of the objects verified physically are found correct for the below mentioned perid.
Year - Objects verified
2014-15 - 10018
Curator Curator</td></tr>
<tr><td>SALAR JUNG MUSEUM HYDERABAD
PHYSICAL VERIFICATION OF ART OBJECTS
This is to certify that, the museum is verifying the objects regularly the details of the objects verified physically are found correct for the below mentioned perid.
Year - Objects verified
2014-15 - 10018
Curator Curator</td><td>SALAR JUNG MUSEUM HYDERABAD
PHYSICAL VERIFICATION OF ART OBJECTS
This is to certify that, the museum is verifying the objects regularly the details of the objects verified physically are found correct for the below mentioned perid.
Year - Objects verified
2014-15 - 10018
Curator Curator</td></tr>
<tr><td>SALAR JUNG MUSEUM HYDERABAD
PHYSICAL VERIFICATION OF ART OBJECTS
This is to certify that, the museum is verifying the objects regularly the details of the objects verified physically are found correct for the below mentioned perid.
Year - Objects verified
2014-15 - 10018
Curator Curator</td><td>SALAR JUNG MUSEUM HYDERABAD
PHYSICAL VERIFICATION OF ART OBJECTS
This is to certify that, the museum is verifying the objects regularly the details of the objects verified physically are found correct for the below mentioned perid.
Year - Objects verified
2014-15 - 10018
Curator Curator</td></tr>
</table>

अनुलग्नक- 11.1
(अध्याय-11)
पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
1	राष्ट्रीय संरक्षण नीति	नई नीति के तहत स्मारकों और संरक्षण गतिविधियों की अधिसूचना और अधिसूचना वापस लेने को तीन महीने के भीतर सुव्यवस्थित करने की नीति के तहत नियम अधिसूचित करें।	स्वीकृत	ऐस कोई दस्तावेज/नियम एएसआई (3.1) द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया। ना पता लगाने योग्य घोषित स्मारकों की अधिसूचना वापस लेना लंबित था। (6.3.5) नीति में शामिल महत्वपूर्ण अनुदेश का पालन नहीं हो रहा था (7.2.1)
2	अन्वेषण और उत्खनन नीति	पुरातत्व उत्खनन और अन्वेषण पर राष्ट्रीय नीति के तहत अंतिम अधिसूचना और कार्य योजना तैयार करने में तेजी लाना। अन्वेषण और उत्खनन में निधियों का पर्याप्त आवंटन और इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।	स्वीकृत	माननीय मंत्री द्वारा अनुमोदित उत्खनन और अन्वेषण नीति अधिसूचित नहीं की गई थी (3.1)। उत्खनन नीति पर आधारित कोई कार्य योजना नहीं थी तथा एएसआई की गतिविधि पर व्यय अभी भी उसके कुल व्यय के एक प्रतिशत से भी कम था। (9.2 तथा 5.1.1)
3	पुरावशेषों और कला खजाने का अधिग्रहण	पीएसी ने एएटी अधिनियम में संशोधन करने में देरी पर गंभीर चिंता और नाराजगी दर्शाई थी और 1997 में शुरू हुए मसौदे को अंतिम रूप देने में तेजी लाने को कहा था। इसने मंत्रालय से तीन महीने के भीतर उन पुरावशेषों की वसूली या खरीद के लिए आवश्यक कदमों का पता लगाने और सूचित करने को कहा, जो सांस्कृतिक मूल्य के हैं, लेकिन विदेशों में बेचे गए है।	स्वीकृत	कार्य अभी भी प्रक्रिया में था (3.1)। तथापि मंत्रालय ने कलाकृतियों की वसूली में प्रगति की थी (6.4)।

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
4	जीवंत स्मारकों का प्रबंधन	जीवंत स्मारकों के प्रबंधन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। प्राचीन स्मारकों, शिलालेखों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों में तेजी की आवश्यकता है।	स्वीकृत	एएसआई के पास इन स्मारकों का ब्यौरा नहीं था जहां अधिसूचना जारी होने के बाद प्रार्थना/पूजा शुरू की गई थी। यह मूर्त स्मारकों के प्रबंधन के साथ किए गए समझौता ज्ञापन का विवरण प्रदान करने में असमर्थ था। (7.1.3.1)
5	मंत्रालय के अधीन पुरातत्व संग्रहालयों के लिए एक समान प्रक्रिया	एएसआई (स्थल संग्रहालयों के माध्यम से) के स्वामित्व वाली पुरावशेषों के प्रबंधन के लिए व्यापक नीति दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया, जो लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे अधिग्रहण, परिग्रहण पंजी, आर्वतन आदि को दर्शाता है। सीपीएम एवं पुरावशेषों की भी राष्ट्रीय पंजी की तैयारी की जानी है।	स्वीकृत	एएसआई के स्वामित्व वाले पुरावशेषों से संबंधित सभी मुद्दों को दर्शाने वाला एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया था। आगे, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संग्रहालयों के लिए कोई एकरूप क्रिया विधि नहीं थी। (3.1 एवं 6.4)
6	जन-शक्ति और पुनगर्ठन की कमी	जन-शक्ति की कमी को दूर करने के लिए एएसआई में संवर्ग पुनगर्ठन प्रक्रिया का मुद्दा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाना था।	पीएसी द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में आगे की सिफारिशें की गई है।	एएसआई के पुनर्गठन प्रक्रिया में कुछ प्रगति देखी गई क्योंकि अतिरिक्त 758 पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में अनुमोदन जारी किया गया था। हालांकि, एसएसआई में कुल रिक्ति की स्थिति और बिगड़ गई थी (4.2)।
7	वर्तमान रिक्तियां भरना	मंत्रालय को एएसआई में सभी रिक्त पदों को छह माह के भीतर भरने के लिए सम्मिलित प्रयास करना चाहिए।		
8	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण	मंत्रालय परामर्श से अपने विभिन्न अभिकरणों और ईकाईयों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और समय सीमा की निगरानी तथा रिक्त पदों को	पीएसी ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में आगे की	31 संरक्षित स्मारकों को शामिल करते हुए केवल पांच विरासत उप-नियमों को अधिसूचित किया गया है, जबकि 165 विरासत उप-नियमों को अंतिम रूप देना विभिन्न स्तरों

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		भरने के लिए एक आंतरिक तंत्र विकसित करता है।	सिफारिशें की है।	पर था। पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्यों के पदों को अभी तक क्रमशः मार्च 2019 तथा जनवरी 2014 से रिक्त रखा गया है।(3.2)
9	सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था	जिला और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं की जांच के लिए एएसआई प्रत्येक सर्किल में संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय तंत्र का गठन करें। सुरक्षा के लिए जन-शक्ति को मजबूत करना, सभी स्मारकों और संग्रहालयों के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति विकसित करते हुए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आईटी में प्रगति करना । सभी एएसआई स्मारकों और संग्रहालयों में सार्वजनिक सुविधाएं होगीं।	पीएसी द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में आगे सिफारिशें की गई है।	समन्वय तंत्र विद्यमान नहीं पाया गया (4.1.4.1) एएसआई ने वेब- आधारित उपयोगिता के लिए इसरो के साथ समझोता ज्ञापन दर्ज किया जो उपयोगकर्ताओं को इसरो द्वारा तैयार किए गए मानचित्र आधारित सामग्री का पता लगाने की अनुमति देता है। मंत्रालय ने अपने नियंत्रण वाले संग्रहालयों के लिए व्यापक सुरक्षा नीति भी लाई थी (7.3)। स्मारकों पर *आदर्श स्मारक* घोषित करते हुए जन सुविधाओं का सर्जन किया जा रहा था।(7.1.2)
10	प्रशिक्षण और कार्यान्वयन के विशेषज्ञ समूह का प्रतिवेदन	एएसआई को प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर करने हेतु नई एचआरडी नीति लागू करना चाहिए। लाल किले में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान।	स्वीकृत	मंत्रालय/एएसआई के पास अपनी विरासत गतिविधियों की ओर क्षमता निर्माण के लिए अवसंरचना थी। हालांकि, पदों को नहीं भरा गया और छात्रों का नामांकन कम था। यह उम्मीद थी कि नए पुरातत्व संस्थान की स्थापना से कमियों को दूर किया जाएगा (4.2.1)
11	बजटीय आवंटन	एएसआई की आवश्यकताओं के लिए वास्तविक प्रक्षेपण के आधार पर निधि की मांग उठाई जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एएसआई पूर्व-बजट योजना तैयार करें।	स्वीकृत	2017-18 के बाद, एएसआई के समग्र खर्च और विरासत संरक्षण पर इसके खर्च में वृद्धि मध्यम रहा (5.1)
12	राजस्व सृजन	टिकट वाले और बिना टिकट वाले स्मारकों के	स्वीकृत	हालांकि एएसआई ने अधिक स्मारकों को टिकट वाले की

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		वर्गीकरण के लिए संरचित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और अधिक स्मारकों को टिकट वाली श्रेणी में लाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। टिकट तथा अन्य शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। मंत्रालय/एएसआई उचित दिशा-निर्देशों के साथ सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध स्थलों को प्रीमियम किराये राजस्व सृजन में वृद्धि करने के लिए तलाश करेंगे।		श्रेणी में लाया और प्रवेश शुल्क में संशोधन किया था, अपनाए, गए मानदंड पारदर्शी नही था (5.3)। यदियपि, आगंतुकों की संख्या को अभिलेखित करने की प्रणाली शुरू करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम में संशोधन अभी भी लंबित था (5.3.1)।
13	गैर-बजटीय वित्त पोषण	स्मारक स्थलों पर संरक्षण और आगंतुक सुविधाओं के वित्त पोषण में अधिक कॉर्पोरेट समूहों और व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एएसआई और एनसीएफ के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।	स्वीकृत	एनसीएफ की विधियों का उपयोग विरासत गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इसकी ₹19.50 करोड़ की प्राथमिक राशि 2020-21 तक बढ़कर ₹56.71 करोड़ हो गई। (5.1.2)
14	पहचान मानदंड और सर्वेक्षण	पीएसी ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान करने के लिए ऐसे स्मारकों को केद्रीय संरक्षित श्रेणी में रखने हेतु एक व्यापक सर्वेक्षण अतिदेय है। इसने सिफारिश की कि स्मारक के राष्ट्रीय महत्व के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों को जल्द से जल्द (छः महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाए तथा उसके बाद	स्वीकृत	दिशा-निर्देश तैयार नही किए गए है और एक निश्चित स्मारक को अधिसूचित करने मे मानदंड की अनुपस्थिति को परिभाषित करने वाले उदाहरण अभी भी मौजूद थे। (6.3.1) एएसआई द्वारा व्यापक सर्वेक्षण/समीक्षा जिसके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान की जा सके जिनका संरक्षण किया जा सके या उन स्मारकों की पहचान जिनका समय के साथ महत्व गुम हो चुका था और राज्यों को देने की जरूरत

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जिन्हे संरक्षित किया जा सकता है, की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए लक्ष्य समयरेखा के साथ एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।		थी, द्वारा नहीं किया गया था। (6.3.2)
15	अधिसूचना मुद्दे	एएसआई अधिसूचना के प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए मंडल कार्यालय कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित करेगा। अधिसूचना वापस लेने के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने मे तेजी लाई जा सकती है। एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके अधीन आने वाले स्मारकों की सूची तैयार करने मे चूक करने वाले मंडलो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।	मंत्रालय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, पीएसी ने निर्णय लिया कि आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।	केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची की समीक्षा संशोधन के लिए एएसआई की कोई परिभाषित प्रक्रिया/अनुसूची नही थी (6.3.3)।
16	गुम स्मारक	एएसआई अधिसूचित स्मारकों के भौतिक सत्यापन, स्थिति और अस्तित्व के संबंध में तेजी लाएं। समिति ने महसूस किया कि स्मारकों के विश्वसनीय डाटाबेस के अभाव में एएसआई अपने मूल अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ था।	स्वीकृत	जनता को प्रदर्शित करने वाले सीपीएम के केन्द्रीकृत डेटाबेस/सूची में सभी अनुशंसित जानकारी उपलब्ध नहीं थी (6.2)। एएसआई ने स्वीकार किए की न पता लगाने वाले स्मारकों को गैर अधिसूचित नही किया गया था (6.3.5)।
17	अधिसूचना की प्रक्रिया	एएसआई/मंत्रालय ने पुरानी अधिसूचनाओं की आवधिक समीक्षा के भौतिक अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की। एएसआई/मंत्रालय ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने पर	स्वीकृत	पुरानी अधिसूचना की अवधि समीक्षा की प्रणाली विद्यमान नही थी (6.3.3)। आगे, 100 वर्ष पुराने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने वाले ऐसे कोई दिशा-निर्देश अस्तित्व में नहीं पाए गए।

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		विचार कर सकता है जिससे प्राचीन स्मारक (1700 एडी का) और समकालीन स्मारक जो 100 वर्ष पुराने है और राष्ट्रीय महत्व के हैं, स्वतः संरक्षित हो सके।		
18	स्मारकों का वर्गीकरण	स्मारकों के वर्गीकरण की अवधारणा ऐसे किसी प्रावधान जो स्मारक पर दर्शकों की संख्या का आंकलन कर सके, के अभाव में बनाई गई। समिति ने स्मारकों के वर्गीकरण के संबंध में कमियों को दूर करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम में आवश्यक संशोधनों करने के लिए कहा और गैर-टिकट वाले स्मारकों में दर्शकों की संख्या अभिलेखित करने की एक प्रणाली स्थापित की।	स्वीकृत	स्मारकों के वर्गीकरण का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन था (6.2.1)। दर्शकों की संख्या अभिलेखित करने और स्मारकों के वर्गीकरण की एक प्रणाली शुरू करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम में संशोधन लंबित था (3.1)।
19	अतिक्रमण और अनाधिकृत गतिविधियां	समिति ने सिफारिश की कि एएसआई/मंत्रालय के संरक्षित स्मारकों के उपयोग पर स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित करने पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त दिशा निर्देशों के आधार पर उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हो। एएसआई के पास विवादित स्वामित्व या अतिक्रमण वाली स्थलों की अधिसूचना के लिए एक निर्धारित नीति होनी चाहिए और जिला और	स्वीकृत	जीवंत स्मारकों के प्रबंधन के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के प्रयास नही पाए गए। एएसआई द्वारा बताए गए अतिक्रमित स्मारकों की स्थिति गलत पाई गई। अतिक्रमण/अनाधिक्रमण निर्माण मामलों की अवधि समीक्षा के लिए तंत्र का अभाव था। इसके अलावा, जीवंत स्मारकों पर दिशानिर्देश या नीति दस्तावेज एएसआई द्वारा तैयार नही किए गए (7.1.3.1)।

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		पुलिस अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं की जांच के लिए प्रत्येक सर्किल से संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय निकाय का गठन करना चाहिए।		
20	अन्य उद्देश्यों के लिए स्मारकों का उपयोग	स्मारकों के कुछ हिस्सों का निवास के लिए उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए और एएसआई या अन्य अभिकरण द्वारा कार्यालयों के रूप में उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मंत्रालय सीपीएम में सांस्कृति गतिविधियों को अनुमति देने वाले दिशानिर्देशों में तेजी लाएं तथा अंतिम रूप दें।	स्वीकृत	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्मारक अभी भी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है (उदाहरणार्थ लाल किले में एएसआई और सुरक्षा अभिकरणों के विभिन्न कार्यालयों के लिए जगह को कब्जा कर लिया गया)। (7.1.1)
21	केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची	सभी सीपीएम की एक सूची तैयार करें और जनता के लिए विभिन्न जानकारी जैसे श्रेणी, सर्कल और राज्य, स्थान और निकटतम शहर से दूरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, अतिक्रमण विवरणों इत्यादि प्राप्त करने के लिए दो साल के भीतर पोर्टल पर इसे प्रदर्शित करें।	स्वीकृत	एएसआई ने सूचित किया कि 3,150 स्मारकों के लिए राजपत्र अधिसूचना के संबंध में डेटा संकलित किया गया। हालांकि, जनता को प्रदर्शित करने वाला सीपीएम का डेटाबेस/सूची सभी अनुशंसित जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं थी (6.2)
22	समुद्री पुरातत्व	समिति ने विशेष रूप से इस दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक विशेषता के साथ एएसआई के एक पृथक विंग की सिफारिश की। समुद्री संग्रहालयों, जिससे महान समुद्री अतीत की कलाकृतियां और स्मारकों के प्रदर्शन हेतु स्थापित	स्वीकृत	संबंधित शाखा में, जनशक्ति की कमी के अतिरिक्त, पानी के नीचे पुरातत्व लेने के लिए एएसआई के पास कोई परिप्रेक्ष्य योजना या नीति नहीं थी (9.1.2)। इसके अलावा, मंत्रालय/एएसआई द्वारा खोला गया ऐसा कोई समुद्री संग्रहालय नही पाया गया। (8.3.2)

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		करना।		
23	परिवर्धन और संवर्धन के लिए आईटी का लाभ उठाना	खराब होने वाले स्मारकों और पुरावशेषों के परिवर्धन में आईटी के फायदे का पुरी तरह से लाभ उठाने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। इलैक्ट्रॉनिक डाटा और छवियों का उपयोग करके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों के परिवर्धन के लिए एक रोडमैप विकसित करे। जागरूपकता, व्याख्या आदि के लिए विशेष रूप से निधियां निर्धारित करें।	स्वीकृत	एएसआई ने अपने स्मारकों पर वेब आधारित सामग्री के लिए इसरो के साथ समझौता किया (7.3)। हालांकि, विरासत संरक्षण के लिए कार्यनीति या रोड-मैप का अभाव था (4.1.2)।
24	*बाओलियां* और अन्य स्मारकों का रखरखाव	समिति ने एएसआई को इस क्षेत्र में सक्रिय कुछ अग्रणी निजी संगठनो के सहयोग से स्मारकों को पुनः स्थापित करने के कार्य में अपने प्रयासों को मजबूत करने की सिफारिश की।	स्वीकृत	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, दिल्ली सर्किल के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंद्रह *बाओलियों* की स्थिति खराब पाई गई क्योंकि 13 गीली *बाओलियों* मे से 10 गंदी हो चूकी थी। आगे, *अग्रसेन की बाओली* के संबंध में, जैसा कि पहले की प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया है, समाधान नही किया गया है। (7.1.3.2)
25	क्षतिग्रस्त स्मारकों का पुनः स्थापन	समिति ने क्षतिग्रस्त स्मारकों के पुनः स्थापन कार्य एवं हटाए गए हिस्सों को प्रदर्शन के लिए परिरक्षण करने के संबंध में जारी किया।	स्वीकृत	हालांकि स्मारक का संरक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए अनुचित संरक्षण कार्यो/मूल संरचनाओं में किए गए परिवर्तन, स्मारक के निषिद्ध क्षेत्रों में निर्माण आदि को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।